डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ. रायपुर/17/2001.

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 जनवरी 2002—माघ 11, शक 1923

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक 121/परिवहन/2002.—छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में उस संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और, एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने के पश्चात् विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व कार्यालय समय में प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, रायपुर द्वारा दाऊ कल्याण सिंह भवन, कक्ष क्रमांक 209, में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियम में,—

नियम 66 उप नियम (1) में खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"66 (छ)-ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के अंतर्गत आने वाले यानों के प्राधिकार-पत्र मंजूर करना".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2002

क्रमांक 121/परिवहन/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 31-1-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

Raipur, the 31st January 2002

NOTIFICATION

No. 121/Transport/2002.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government propose to make in exercise of the powers conferred by Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Government of Chhattisgarh, Transport Department, Raipur during the office hours at Dau Kalyan Singh Bhawan, Room No. 209 from any person with respect to the said draft before expiry of the aforesaid specified period will be considered by the State Government.

AMENDMENT

In the said rules,—

after clasue (f) of Rule 66, the following clause shall be inserted, namely :—

"66 (g)-To grant the letter of authority to the vehicle covered by All India Tourist Permit".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.